न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कंचन. राठौड़ (आर. ए. एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 60/2021

वादी :–

1. सहदेवराम पुत्र श्री हरदेवराम जाति मेघवाल निवासी कजनाउ कलां तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर (राज.)।

प्रतिवादी :–

भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता :–

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

–ःनिर्णयः–

दिनांक 13.06.2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम कजनाउ कलां, पटवार हल्का कजनाउ कलां, तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में वादी की कृषि भूमि मौजा कजनाउ कलां के खाता संख्या 353 के खसरा संख्या क्रमशः 184, 545, 821, व 936/183 कुल खसरा 4 का कुल रकबा 7.7827 हैक्टयर में भूमि आयी हुई है। जिसमें ग्राम कजनाउ कलां की संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिसमें वादी का नाम लिपीकीय त्रुटि वंश सहदेवराम पुत्र हरदेवराम की जगह सहदेव पुत्र हरदेव दर्ज हो गया था। जो गलत है। राजंस्व वाद में साक्ष्य के रूप में वादी ने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी प्रस्तुत किये गये। जिसमें वादी का सही नाम सहदेवराम पुत्र हरदेवराम है। उक्त वाद में वादी के सही नाम हेतु सह खातेदार धनाराम व खेराजराम ने सहमति प्रदान की सहदेव व सहदेवराम एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार बावड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता सख्या 353 में वादी का नाम सहदेव पुत्र हरदेव के स्थान पर सहदेवराम पुत्र हरदेवराम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है। पत्रावली का [illegible] अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के वाद वादी का राजस्व वाद स्वीकार किया जाना [illegible] होता है। राजस्व वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:07 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादी का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम कजनाउ कलां के खाता संख्या 353 के खसरा संख्या

क्रमशः 184, 545, 821, व 936/183 कुल खसरा 4 का कुल रकबा 7.7827 हैक्टयर में भूमि में वादी का नाम सहदेव पुत्र हरदेव के स्थान पर सहदेवराम पुत्र हरदेवराम दुरस्त कर तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज (अमल–दरामद) करे। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

आदेश आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में मजमे–आम सुनाया गया ।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:07 IST
Reason: SelfAttested